# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या 84/18 | तारीख दायरा 23.08.2018 | तारीख फैसला 12-11-2018

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द शर्मा (R.A.S.)

## उनवान

केशर उर्फ बाल्या पुत्री रामचन्द्र पत्नी दुर्गालाल जाति मीणा निवासी उदपुरा तहसील दीगोद हाल कुराडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–वादनी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद कोटा
2. लीलाल बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी बद्रीलाल निवासी उदपुरा हाल बसन्त बिहार कोटा
3. रामचन्द्र पुत्र मगना जाति मीणा
4. रामप्रसाद पुत्र मगना जाति मीणा
5. रामसुख पुत्र मगना जाति मीणा
6. शांतिलाल पुत्र मगना जाति मीणा
7. गोपाल पुत्र मगना जाति मीणा
8. नारायणी बेवा मगना जाति मीणा
9. मोडू मृतक जरिये कायम मुकामान–
   9/1. बाबूलाल पुत्र मोडू
   9/2. बशीलाल पुत्र मोडू
   9/3. रमेश पुत्र मोडू
   9/4. गीताबाई पुत्री मोडू
   9/5. सुगना पुत्री मोडू
   9/6 मंजू पुत्री मोडू
   9/7 जमना बाई बेवा मोडू जाति मीणा
10. कन्हैया पुत्र औंकार मृतक जरिये कायम मुकामान'
   10/1. राजेन्द्र पुत्र कन्हैया
   10/2. महावीर पुत्र कन्हैया
   10/3. सुगना पुत्री कन्हैया
11. लटूर पुत्र गोबरीलाल
12. सत्यनारायण पुत्र गोबरीलाल
13. मोहनलाल पुत्र गोबरीलाल
14. हेमराज पुत्र धन्नालाल
15. मदनपाल पुत्र धन्नालाल

16. राधेश्याम पुत्र धन्नालाल
17. धापूबाई बेवा धन्नालाल
18. रोशनबाई पुत्री किशोर
19. रामधनी बाई बेवा किशोर जाति मीणा निवासीगण उदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

–प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट**

उपस्थित– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट वादनी की ओर से

**निर्णय**

वादनी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53–88 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेंदारी आराजी ख0नं0 318 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 319 रकबा 1.09 हे0, ख0नं0 323 रकबा 1.22 हे0, ख0नं0 351 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 352 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 563 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 6 रकबा 4.14 हे0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादनी का नाम बाल्या दर्ज है, जबकि वादनी का वास्तविक नाम केशर बाई है। वादनी को बचपन में बाल्या के नाम से भी पुकारा जाता था, इस कारण उक्त खातें में इंतकाल दर्ज करते समय वादनी का नाम केशर बाई दर्ज नहीं कर, बाल्या दर्ज कर दिया गया। जिससे वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 297 पर स्थित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम केशर बाई पुत्री रामचन्द्र ही अंकित है, जो सही है। इसी अनुसार ग्राम उदपुरा की आराजी में वादनी का नाम बाल्या के स्थान पर केशर बाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम बाल्या गलत दर्ज है, वादनी का वास्तविक नाम केशर बाई है। वादनी के पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में केशर बाई दर्ज होनें से वादनी को ग्राम उदपुरा की आराजी में कृषि ऋण लेनें, कृषि पैदावार का प्रोग्राम लेनें में व्यवधान पैदा हो रहा है। उक्त कारण से वादनी ने प्रतिवादी नं0 1 के अधिकारियों व कर्मचारियों को वादनी का नाम दुरूस्त करने हेतु दिनांक 30.07.2018 को मौखिक निवेदन किया तो उन्होनें वादनी को नियमित वाद पेश करने की सलाह दी, जिस



9/1. बाबूलाल पुत्र मोडू

कारण से यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण 2 लगायत 19 से कोई रिलीफ नहीं चाही गई है, फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है।

वाद प्रस्तुत कर वादनी ने निवेदन किया है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी ख0नं0 318 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 319 रकबा 1.09 हे0, ख0नं0 323 रकबा 1.22 हे0, ख0नं0 351 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 352 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 563 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 6 रकबा 4.14 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम बाल्या के स्थान पर केशर बाई अथवा केशर बाई उर्फ बाल्या दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी नं0 1 को आदेशित किया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावें।

वादनी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम उदपुरा सं0 2073–76 खाता नं0 80
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम अतरालिया सं0 2072–75 खाता नं0 297
3. फोटोप्रति आधार कार्ड केशर बाई पत्नी दुर्गाशंकर
4. फोटोप्रति मतदाता पहचान पत्र केशर बाई पत्नी दुर्गाशंकर
5. शपथ पत्र केशर उर्फ बाल्या पुत्री रामचन्द्र पत्नी दुर्गालाल जाति मीणा निवासी उदपुरा तहसील दीगोद हाल कुराडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

वाद वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया। जवाब प्रस्तुत कर सरकार की ओर से विशेष कथन किये कि वादनी का नाम ग्राम उदपुरा की जमाबंदी में बाल्या दर्ज है तथा अतरालिया की जमाबंदी में केसर बाई दर्ज है। ग्राम उदपुरा की जमाबंदी में बाल्या 1/12 लीला 1/12 पुत्री रामचन्द्र दर्ज है, जिससे बाल्या के पिता के नाम में संशय है। वादी द्वारा अपनें पक्ष के समर्थन में परिचय पत्र व आधार कार्ड प्रस्तुत किया है।

हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादनी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र में वादनी का नाम केशर बाई अंकित है। ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद स्थित जमाबंदी सं0 2072–75 खाता सं0 297 में वादनी का नाम केसरी पुत्री रामचन्द्र दर्ज है जबकि ग्राम उदपुरा की जमाबंदी सं0 2073–76 खाता सं0 80 में वादनी का नाम बाल्या पुत्री रामचन्द्र दर्ज है।

वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन करनें से जाहिर आता है कि वादनी को केशर एवं बाल्या दोनों नाम से जाना जाता है तथा वादनी के पहचान से सम्बन्धित दस्तावेंजो में वादनी का नाम केशर बाई तथा ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद स्थित जमाबंदी में वादनी का नाम केसर दर्ज है, जबकि ग्राम उदपुरा की जमाबंदी में वादनी का नाम बाल्या दर्ज है। इस प्रकार ग्राम उदपुरा की जमाबंदी एवं पहचान के दस्तावेंजो एवं जमाबंदी ग्राम अतरालिया में वादनी के नाम में भिन्नता है। वादनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान् बद्रीलाल पुत्र सूरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद, रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी उदपुरा तहसील दीगोद, केशर उर्फ बाल्या पुत्री रामचन्द्र पत्नी दुर्गालाल जाति मीणा निवासी उदपुरा हाल कुराडी तहसील दीगोद, लीलाबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी बद्रीलाल जाति मीणा निवासी उदपुरा हाल बसन्त बिहार कोटा, रामविलास पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी उदपुरा तहसील दीगोद, शांतिलाल पुत्र मगनलाल जाति मीणा निवासी उदपुरा तहसील दीगोद के बयानों के आधार पर वादनी को केशर एवं बाल्या दोनों नामों से जाननें के प्रमाण मिलते है। सहखातेदार लीलाबाई एवं शांतिलाल नें भी वादनी को दोनों नामों से जाननें के कथन किये है तथा विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम बाल्या के स्थान पर केशर अंकित किये जानें की सहमति प्रकट की है।

उक्त तथ्यों के आधार पर एवं सहखातेदारान् की सहमति एवं ग्रामवासियान् के बयानों तथा प्रस्तुत दस्तावेजात् के अनुसरण में वादनी का नाम ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद की जमाबंदी में भी बाल्या के स्थान पर केशर अंकित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रकरण में प्रतिवादी नं0 2 लगायत 19 फॉर्मल पक्षकार है, जिनसे किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।

परिणामतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित आराजी ख0नं0 318 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 319 रकबा



9/1. बाबलाल पत्र मोड

1.09 हे0, ख0नं0 323 रकबा 1.22 हे0, ख0नं0 351 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 352 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 563 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 6 रकबा 4.14 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादनी का नाम बाल्या के स्थान पर केशर उर्फ बाल्या पुत्री रामचन्द्र दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनॉक 12/11/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद